राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

माघ 3, सोमवार, शाके 1938–जनवरी 23, 2017
Magha 3, Monday, Saka 1938–January 23, 2017

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 19, 2017

जी.एस.आर.104 :–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.**–राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (कक) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(कक) "बोर्ड" से राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है;"

3. **नियम 6 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 6 के उप–नियम (2) के परन्तुक (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **नियम 6घ का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 6घ के उप–नियम (1) में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान लोक सेवा आयोग की" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड की" प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि पद आयोग के कार्यक्षेत्र" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि पद आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड के कार्यक्षेत्र" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 7 का संशोधन.–उक्त नियमों के नियम 7 के उप–नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिए आयोग द्वारा," के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों के लिए आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा," प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 10 का संशोधन.–उक्त नियमों के नियम 10 के परन्तुक (xi) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या ऐसे पदों पर, जो आयोग के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा भरे जाने हों," हटायी जायेगी।

7. नियम 14 का संशोधन.–उक्त नियमों के नियम 14 में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी" और विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी", जहां कहीं भी आयी हों, के स्थान पर क्रमशः अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड" तथा अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 16 का संशोधन.–उक्त नियमों के नियम 16 में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगा।"

9. नियम 17 का प्रतिस्थापन.–उक्त नियमों के विद्यमान नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**17. आवेदन का प्ररूप.**– आवेदन आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा। आवेदन का प्ररूप आयोग या बोर्ड की वेबसाईट पर, ऐसी फीस का संदाय करके, जो आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड समय–समय पर नियत करे, उपलब्ध कराया जायेगा।"

10. नियम 18 का प्रतिस्थापन.–उक्त नियमों के विद्यमान नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**18. आवेदन फीस.**–सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड को ऐसी फीस का, जो उसके द्वारा समय–समय पर नियत की जाये, ऐसी रीति से, जो उसके द्वारा उपदर्शित की जाये, संदाय करेगा।"

11. **नियम 19 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 19 में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी उनके/उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेंगे/करेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित किये जाने वाले अनुदेशों और पाठ्य विवरण के अनुसार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित किये जाने वाले अनुदेशों और पाठ्य विवरण के अनुसार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "नियुक्ति प्राधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. **नियम 20 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"20. **आयोग या बोर्ड की सिफारिश.**—आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड ऐसे अभ्यर्थियों की सूची योग्यताक्रम में तैयार करेगा जिन्हें वह सम्बंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे। आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा :

परन्तु आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड किसी ऐसे अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिखित परीक्षा के कुल अंकों के न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहा है :

परन्तु यह और कि आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत तक उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगा। आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड अध्यपेक्षा किये जाने पर, योग्यता क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की सिफारिश नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी तारीख से, जिसको आयोग या बोर्ड द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को मूल सूची अग्रेषित की जाती है, छह मास के भीतर कर सकेगा।"

13. **नियम 27 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 27 में,—

(i) उप-नियम (1) के प्रथम परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) उप–नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

14. **नियम 29क का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 29क के उप–नियम (4) के स्पष्टीकरण (i) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर हों तो आयोग के परामर्श" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के भीतर हों तो आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड के परामर्श" प्रतिस्थापित की जायेगी।

15. **नियम 38 का संशोधन.**–उक्त नियमों के नियम 38 में,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड"प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान लोक सेवा आयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयोग या, यथास्थिति, बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. **अनुसूची का संशोधन.**–उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में,–

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में आये विद्यमान पैरा संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"2. इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियत्रंणाधीन डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

एन.आई.ई.एल.आई.टी., नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) /डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सो.) प्रमाणपत्र।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा /प्रमाणपत्र।

या

देश में के किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

या

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.)।"

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 4 में आये विद्यमान पैरा संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"2. इलैक्ट्रोनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा संचालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

एन.आई.ई.एल.आई.टी., नई दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर संकल्पना का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

या

व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ऑ.प्रो.स.) /डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डा.प्रे.क.सॉ.) प्रमाणपत्र।

या

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र।

या

देश में के किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, एक विषय के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सैकण्डरी प्रमाणपत्र।

या

सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

या

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम(रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.) ।"

[संख्या एफ. 2(5)डीओपी/ए-II/90]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क-2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr-II)
NOTIFICATION
Jaipur, January 19, 2017

G.S.R.104 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of the India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Statistical Subordinate Service (Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- In rule 2 of the Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971, hereinafter referred to as the said rules, after the existing clause (a) and before the existing clause (b) following new clause (aa) shall be inserted, namely:-

"(aa) "Board" means the Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board;"

3. Amendment of rule 6.- In proviso (1) of sub- rule (2) of rule 6 of the said rules, for the existing expression "Commission," the expression "Commission or the Board, as the case may be," shall be substituted.

4. Amendment of rule 6D.- In sub-rule (1) of rule 6 D of the said rules,-

(i) for the existing expression "Rajasthan Public Service Commission", the expression "Commission

or the Board, as the case may be." shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "purview of the Commission", the expression "purview of the Commission or the Board, as the case may be." shall be substituted.

5. Amendment of rule 7.- In the sub-rule (3) of rule 7 of the said rules, for the existing expression "the Commission for posts falling in its," the expression "the Commission or by the Board, as the case may be, for posts falling in their," shall be substituted.

6. Amendment of rule 10.- In proviso (xi) of rule 10 of the said rules, for the existing expression "or in case of posts filled in through the Commission by interview" shall be deleted.

7. Amendment of rule 14.- In rule 14 of the said rules, for the existing expression "the Commission or the Appointing Authority" wherever occurring, the expression "the Commission or the Board," shall be substituted.

8. Amendment of rule 16.- In rule 16 of the said rules,-

(i) for the existing expression "the Appointing Authority", the expression "the Commission or the Board, as the case may be," shall be substituted: and

(ii) the existing proviso shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that while selecting candidates for the vacancies, so advertised, the Commission or the Board, as the case may be, may, if intimation of additional requirement not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received by them before selection, also select suitable persons to meet such additional requirement."

9. Substitution of rule 17.- The existing rule 17 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**17. Form of Application.-** The application shall be made in the form prescribed by the Commission or the Board, as the case may be. The format of application shall be made available on the Commission's or the Board's website on payment of such fee as the Commission or the Board, as the case may be, may, from time to time, fix."

10. Substitution of rule 18.- The existing rule 18 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**18. Application Fee.-** A candidate for direct recruitment to a post in the service shall pay to the Commission or the Board, as the case may be, such fee as is fixed by them, from time to time, in such manner as may be indicated by them."

11. Amendment of rule 19.- In rule 19 of the said rules,-

(i) for the existing expression "The Appointing Authority shall scrutinize", the expression "The Commission or the Board, as the case may be, shall scrutinize" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "the Appointing Authority in accordance with", the expression "the Commission or the Board, as the case may be, in accordance with" shall be substituted; and

(iii) for the existing expression "decision of the Appointing Authority regarding", the expression " decision of the Commission or the Board, as the case may be, regarding" shall be substituted.

12. Substitution of rule 20.- The existing rule 20 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**20. Recommendation of the Commission or the Board.-** The Commission or the Board, as the case may be, shall prepare a list of candidates, whom they consider suitable for appointment to the posts concerned, arranged in the order of merit. The Commission or the Board, as the case may be, shall forward the same to the Appointing Authority:

Provided that the Commission or the Board, as the case may be, shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks of the total marks of the written examination.

Provided further that the Commission or the Board, as the case may be, may to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list. The Commission or the Board, as the case may be, on the requisition recommend the names of such candidates in the order of merit to the Appointing Authority within six months from the date on which the original list is forwarded by the Commission or the Board to the Appointing Authority."

13. Amendment of rule 27.- In rule 27 of the said rules.-

(i) in first proviso to sub-rule (1), for the existing expression "the Commission", the expression "the Commission or the Board, as the case may be." shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (2), for the existing expression "the Commission", the expression "the Commission or the Board, as the case may be," shall be substituted.

14. Amendment of rule 29A.- In clause (b) of explanation (i) of sub-rule (4) of rule 29A of the said rules, for the existing expression "the Commission", the expression "the Commission or the Board, as the case may be." shall be substituted.

15. Amendment of rule 38.- In rule 38 of the said rules.-

(i) for the existing expression "the Commission", the expression "the Commission or the Board, as the case may be." shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "the Rajasthan Public Service Commission", the expression "the Commission or the Board, as the case may be," shall be substituted.

16. Amendment of the Schedule.- In the Schedule appended to the said rules,-

(i) the existing para number 2 and entries thereto appearing in column number 4 against serial number 1, shall be substituted by the following namely:-

"2. "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

or

Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi.

or

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council or Vocational Training Scheme.

or

Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/ Computer Application from a University established

by law in India or from an institution recognized by the Government.

or

Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with Computer Science/ Computer Application as one of the subjects.

or

Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic institution recognized by the Government.

or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited."

(ii) the existing para number 2 and entries thereto appearing in column number 4 against serial number 3, shall be substituted by the following namely:-

"2. "O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.

or

Certificate course on Computer concept by NIELIT, New Delhi.

or

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council or Vocational Training Scheme.

or

Degree/Diploma/Certificate in Computer Science/ Computer Application from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government.

or

Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with Computer Science/ Computer Application as one of the subjects.

or

Diploma in Computer Science & Engineering from a Polytechnic institution recognized by the Government.

or

Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited."

[No.F. 2(5) DOP/A-II/90]

By Order and in the name of the Governor,
Sunil Sharma,
Jt. Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.